भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

आर्थिक कार्य विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 196

(जिसका उत्तर सोमवार, 29 नवंबर, 2021/8 अग्रहायण, 1943 (शक) को दिया जाना है)

कर्नाटक में बिटकॉइन घोटाला

196. श्री प्रज्ज्वल रेवन्नाः

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को हाल ही में कर्नाटक में सामने आए करोड़ों रुपयों का बिटकॉइन घोटाले की जानकारी है जिसमें एक व्यक्ति को विश्वव्यापी स्तर पर बिटकॉइन हैक करने के संबंध में गिरफ्तार किया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस मामले में कितनी धनराशि संलिप्त है;

(ग) क्या सरकार का इस मामले की जांच को प्रवर्तन निदेशालय/केंद्रीय जांच ब्यूरो/किसी विशेष केंद्रीय एजेंसी अथवा विशेष जांच दल को सौंपने का प्रस्ताव है चूंकि इस घोटाले में अंतर्राष्ट्रीय लेन-देन शामिल है:

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है: और

(ङ) सरकार द्वारा इस घोटाले की निष्पक्ष जांच हेतु की गई अथवा की जा रही कार्रवाई का ब्यौरा क्या है और इस संबंध में कार्रवाई कब तक शुरू किए जाने की संभावना है?

उत्तर

वित्त राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) से (ङ): सार्वजनिक डोमेन में जानकारी से पता चलता है कि कर्नाटक पुलिस के द्वारा बिटकॉइन से जुड़े साइबर क्राइम के मामले की जांच की जा रही है। भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार 'पुलिस' और 'सार्वजनिक व्यवस्था' राज्य के विषय है। राज्य/केंद्रशासित प्रदेश अपनी कानून प्रवर्तन संस्थाओं (एलईए) के माध्यम से वित्तीय धोखाधड़ी सहित ऐसे अपराधों का निवारण, खोज, जांच और अभियोजन के लिए प्राथमिक रूप से जिम्मेदार है। एलईए अपराधियों के विरुद्ध विधिक प्रावधानों के अनुसार कानूनी कार्रवाई करता है। हालांकि, प्रवर्तन निदेशालय की बैंगलोर जोनल इकाई के द्वारा भी एक मामला दर्ज किया गया है। इस मामले में जानकारी का और खुलासा करना व्यापक जनहित में नहीं है।

******